



न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता-सह-नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।
आदेश पत्रक

जिला - गुमला

वाद सं०- 74 / 2020-21

केस का प्रकार - नीलाम पत्र

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई की दिप्पणी एवं तारीख
	<p align="center">बैंक ऑफ इण्डिया, जारी</p> <p align="center">बनाम</p> <p align="center">नन्दकुमार सिंह विपक्षी</p> <p>अधियाची पदाधिकारी शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, जारी शाखा से लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम-पत्र दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई जिसमें नन्दकुमार सिंह, ग्राम- रुद्रपुर, पोस्ट- गोविन्दपुर, थाना- जारी, जिला- गुमला के विरुद्ध देनदार दिखाते हुए राशि 835230.00 रुपये पर बकाया राशि दर्शाया गया था।</p> <p>बैंक ऑफ इण्डिया, जारी के द्वारा दिया गया अदेय प्रमाण पत्र के आधार पर वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>अतः वाद की कार्यावाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं सशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी -सह- नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी -सह- नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)। </div> </div>	